सिमली–बेनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, प्रस्ताव का अवलोकन करने पर प्रस्ताव में निम्न कमियां पायी गई।

1– प्रस्ताव के प्रतिवेदन प्रपत्र में प्रस्तावित वन भूमि 7मी0 चौड़ाई में प्रस्तावित की गयी है जबकि लैण्ड शैड्यूल प्रपत्र में 9 मी0 के चौड़ाई में वन भूमि प्रस्तावित की गयी है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप द्वारा सड़क का निर्माण कार्य 6.00 मी0 चौड़ाई में ही किया जाना प्रस्तावित है, वन भूमि में 07 मी0 चौड़ाई में ही भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करे।

2– एफ0आर0ए0 प्रपत्र के 23.2 उप जिलाधिकारी समिति प्रपत्र में उप जिलाधिकारी का नाम व बैठक का दिनांक अंकित नही किया गया है।

3– प्रस्तावित वन भूमि में बांज के 617 वृक्ष एवं बांज सहित अन्य प्रजाति के कुल 1467 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। प्रस्तावित समरेखण के अतिरिक्त दो अन्य समरेखणो का चयन करते हुए समरेखण में आ रहे वृक्षो की भी सूची प्रस्ताव में संलग्न करे एवं तीनो समरेखणो में जिस समरेखण में वन भूमि व वृक्षो की संख्या कम से कम प्रभावित हो रही हो उक्त समरेखण को प्रस्तावित समरेखण चयनित करे, डिजिटल मैप व जियोरिफरेन्स मैप में भी प्रस्तावित समरेखण के अलावा दो अन्य समरेखणो को भी दर्शाये।

अतः उपरोक्त कमियो का निराकरण करने के साथ–साथ प्रस्ताव का भंली भांति परीक्षण करने के उपरान्त ही प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करने का कष्ट करे। ताकि उक्त प्रकरण में यथोचित कार्यवाही की जा सके।

Scanned with CamScanner